न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 2, मथुरा।

एस टी संख्या 857/2018

राज्य बनाम अनुज उर्फ अनुआ

धारा 25 आयुध अधिनियम

थाना गोवर्धन , जिला मथुरा।

आरोप

मैं डा० बब्बू सारंग, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 2, मथुरा आप अभियुक्त अनुज को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ -

1. यह कि दि०14-10-2016 को समय 18-00 बजे व स्थान पाली तिराहा के पास रोड पर अन्तर्गत थाना गोवर्धन जिला मथुरा में आपने वादी बलराम पाण्डेय ने भगवत व कान्ती शर्मा के सहयोग से आपको बदमाश होने का शक होने पर रोकने पर आप मोटर साइकिल से गिर पड़े तथा आपको पकड़ लिया तथा आपके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर बरामद हुआ । इस प्रकार आपने धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप के अधीन आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांकः13-2-2019

(डा० बब्बू सारंग)

अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं०2,मथुरा।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे उसने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांकः 13-2-2019

(डा० बब्बू सारंग)

अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं०2,मथुरा।

13-2-2019

पत्रावली पेश की गयी । पुकार पर अभियुक्त अभियुक्त अनुज अपने अधिवक्ता सहित न्यायालय में उपस्थित हैं एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी उपस्थित हैं। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता,फौजदारी एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को आरोप पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता,फौजदारी द्वारा अपने मामले का कथन, अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है, आरम्भ किया गया। मामले के अभिलेख एवं उसके साथ दिये गये दस्तावेजों पर विचार करने एवं इस निमित्त अभियुक्तगण एवं अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात मेरे विचार से अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार होना लगता है तथा अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया आधार लगता है कि अभियुक्त ने उक्त अपराध कारित किया है। तदनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम विरचित किया जाना न्यायोचित लगता है।

तदनुसार उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से मना किया तथा घटना का विचारण चाहा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दि० 02-3-2019 को पेश हो। अभियोजन जिन भी साक्षी को, न्यायालय के माध्यम से आहूत करना चाहे, उनकी सूची नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 2,मथुरा।